Order Sheet [Contd] Case No 264/2017 बी.ए

	Case No 264 / 2017 बा.ए	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
STATE OF THE PARTY	19.07.2017 आवेदक / अमियुक्त सतीश रजक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा एक आवेदनपत्र प्रकरण आज शीफ सुनवाई में लिए जाने बावत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में आवेदक / अरिपी सतीश रजक का नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करने एवं निराकरण होना है। अतः प्रकरण शीफ सुनवाई में लिए जाने का निवेदन किया। विद्यारोपरांत प्रकरण शीफ सुनवाई में लिया गया। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। आवेदक / अमियुक्त सतीश रजक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० का प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र इस प्रकार का किसी भी न्यायालय में न तो लंबित है और न ही निराकृत किया गया है। आवेदनपत्र में प्रार्थना की है कि आवेदक के विरुद्ध फरियादी पक्ष ने पुलिस थाना मी से मिलकर झूटा अपराध पंजीबद्ध कर दिया है जिससे आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रकरण में विवेचना पूर्ण होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। फरियादिया के धारा 164 दंग्रस के अंतर्गत अमिलिखित कथनों में भी आवेदक का नाम अपराध कारित करने में नहीं आया है। प्रकरण के सहआरोपी विजयराम को माननीय उच्च न्यायात्य खण्डपीट गालियर के द्वारा दिनांक 17.07.17 को एम.सी.आर.सी. कमांक 6208/17 में जमानत पण्डक्त कर दिया का जानात की समरत शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुक्त कर दिया का जानत की समरत शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत पाने का पात्र है। आवेदक जमीन निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अमिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक/अमियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अमियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अमियुक्त के सियुक्त के सिया कमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अमिलेख का अवलोकन के सारा 164 सी.आर.पी. सी के अंतर्त अभिलिखित कथनों में आयेपी का नाम आया है। प्रकरण के अहारेपी विजयराय को माननीय उच्च न्यायालय द्वार जानान पर मुक्त कर विचार पर चुक्त के अरोप लगाए है। उक्त तीनों पर ही फरियादिया के साथ लेंगिक हमला कारित करने का आरोप नहीं है। प्रकरण के अदिता नीन	necessary

सहआरोपी विजयराम से भिन्न नहीं है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं समानता के आधार पर आवेदक / अभियुक्त भी जमानत पर मुक्त होने का पात्र है।

परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक / अभियुक्त की ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 40,000 / — (चालीस हजार रूपए) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोडा जावे।

शर्ते:-

- 1. आवेदक / आरोपी न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- 2. साक्ष्य को प्रभावित, प्रलोभित या डराएगा, धमकाएगा नहीं।
- जिस प्रकार का अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
 प्रकरण पूर्ववत आरोप तर्क हेतु दिनांक 04.08.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

ALIMAN PARON PARON